अपील /23/2016 न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

1—हीरालाल उम्र 59 वर्ष
2—महेन्द्रकुमार उम्र 48 वर्ष
3—कुलदीपकुमार उम्र 50 वर्ष
4—विनोद कुमार उम्र 42 वर्ष
} जातियान ब्राहम्ण निवासीयान ग्रांम सरसैना तहसील वैर जिला भरतपुर
5—सुरेशचन्द उम्र 59 वर्ष पुत्र श्री शिवचरन

.....अपीलान्ट

बनाम

1—जिलेसिंह उम्र 40 वर्ष । पुत्रान श्री कन्नी
2—तारासिह उम्र 35 वर्ष ।
3—धरमी उम्र 70 वर्ष पुत्र रुग्गा जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 17—11—1978 न्यायालय तहसीलदार नदबई, बाबत नामान्तकरण संख्या 117 ग्रांम बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर ।

उपस्थित :—
1—श्री महाराज सिह डांगुर, अभिभाषक अपीलान्ट,
2—श्री मोहनसिंह राना, अभिभाषक रेस्पो.1,2

निर्णय दिनांक 19.7.2024

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 व खिलाफ आदेश नामान्तकरण संख्या 117 दिनांक 17—11—1978 न्यायालय तहसीलदार नदबई के पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में आराजी खसरा नम्बर 891/1—0.1 ग्रांम बढा को पट्टे के आधार पर जरिये नामान्तकरण संख्या 117 से स्व. कन्नी वगे. के हक में गैर खातेदार दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है। उक्त स्वीकार किये गये नामान्तकरण के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो की तलबी की गई। उभय पक्ष के अभिभाषक उपस्थित। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि नामान्तकरण में दर्ज विवादित आराजी खसरा नम्बर 891/1/0.1 ग्रांम बढा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि है, ऐसी भूमियों का पट्टा नहीं किया जा सकता है इसलिए कथित पट्टा आरम्भ से ही शून्य है क्यों कि पब्लिक यूटिलिटी भूमि का पट्टा किया जाना नियम 4 आंबटन नियम के अन्तर्गत निषेध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित भूमियॉ पर किसी को भी खोतदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण नियमों के खिलाफ होने से काबिल खारिज के है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि विवादित आराजी पर पीपल, नीम, पापडी एवं शीशम वगे0 के पेड़ लगे हुये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व विवादित आराजी की मौके कब्जे की जांच नहीं की गई है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 22.5.2016 को रेस्पो. न.1 ने अपीलार्थी को धमकी देने पर हुई। अपील की देरी को माफ करने के लिये म्याद अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 117 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक रेस्पो ने अपने तर्को में बताया कि अपील म्याद बाहर पेश की गई है। अपील असीमित देरी से करीब 38 साल देरी से पेश की गई है। म्याद प्रार्थना पत्र में अंकित कथन असत्य है। योग्य अभिभाषक रेस्पो का कहना है कि विवादित आराजी सिवाय चक है, कोई रास्ता नहीं है। अपीलान्ट ने गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है। विवादित आराजी सिवाय चक विला लगानी दर्ज राजस्व रिकार्ड है इस में अपीलान्ट का कोई हित निहित नहीं है। अपीलान्ट को अपील करने का कोई अधिकार नही है क्यों कि तहत न्यायालय में ये पक्षकार नहीं थे। अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश से परिवेदित व्यक्ति नहीं है। तहसीलदार ने अपीलाधीन नामान्तकरण नियमों के तहत स्वीकार किया है। अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी अपील पेश करने की इजाज नहीं ली है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है। योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2005 एचसी पेज 289, आर.बी. जे. 2020 पेज 681 एच.सी., आर.बी.जे. 2019 पेज 20, धारा 96 सी.पी.सी. 2020(1)आरआरटी 204(डीबी), आर.बी.जे. 2016 पेज 378 उद्धरत करते हुये अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया। योग्य अभिभाषक रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत रुलिंग का अध्ययन किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 117 पर गौर किया।

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 117 के अवलोकन से जाहिर है कि नामान्तकरण के कॉलम संख्या 4 में श्री सरकार एवं कॉलम संख्या 5 में सिवाय चक विला लगानी का अंकन हो रहा है। नामान्तकरण के कॉलम संख्या 11 में कन्नी वगे. को गैर खातेदार दर्ज किया हुआ है। नामान्तकरण में हो रहे इन्द्राज से स्पष्ट है कि तहसीलदार नदबई के आदेश दिनांक 17.7.78 के आदेश की पालना में खोला जाकर तह. नदबई कैम्प बढा में पट्टा के आधार पर स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट का मुख्य रुप से तर्क है कि विवादित आराजी गै.मु.रास्ता है जिसका पट्टा नही किया जा सकता है।

जब कि अपीलान्ट अपनी अपील की मद नम्बर 4 में कथन है कि –

> ".....विवादित आराजी पर अपीलार्थी का बहुत पुराना कब्जा चला आ रहा है इस पर थान बने हैं इमली, पीपल नीम, पापडी एवं शीशम आदि के बहुत पुराने 50 वर्ष से अधिक समय से खड़े हऐ है...दो बोर लगे हुए हैं जो अपीलार्थी के पूर्वजो ने लगाये हैं.....विवादित आराजी भूमि अपीलार्थी का कब्जा है..... ।

इस प्रकार अपीलान्ट के विवादित आराजी के गे.मु.रास्ता होने और विवादित आराजी पर अपना का पुराना कब्जा है तथा बोरिंग लगे होना पेड़ एवं थान बने होना स्वीकार करना, ये दोनों कथन विरोधाभाषी हैं। नामान्तकरण के भूमि कॉलम में सिवाय चक विला लगानी दर्ज है। अपीलान्टान के कथनों से यह निर्विवाद है कि विवादित आराजी मौके पर गै.मु. रास्ता की भूमि नहीं है। विवादित आराजी रेस्पो. के पूर्वजों को वर्ष 1978 में जरिये पट्टा के आधार पर गैर खातेदारी का अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 117 स्वीकार किया गया है।

यह अपील लगभग 38 साल की देरी से पेश की गई है। म्याद प्रार्थना पत्र धारा 5 में अपील की 38 साल की देरी को माफ करने के लिये जिस प्रकार कथन किया है कि रेस्पो की धमकी देने से अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई यह स्वीकार योग्य नहीं, अपील की असीमित देरी 38 साल को माफ करने के लिये पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। अपीलान्ट ने अपील पेश करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलान्ट का विवादित आराजी में कोई हित निहित नहीं है। तहत न्यायालय में भी अपीलान्टान पक्षकार नहीं थे। अपीलान्टान का विवादित आराजी में कोई Locus standia नहीं

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

है। नामान्तकरण कार्यवाही फिसकिल प्रोसिडिंग है इस में किसी के हक हकूक तय नहीं होते हैं। अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।
निर्णय आज दिनांक 19–07–2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर